न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला-ब्यावर) राज0

पीठासीन अधिकारी : श्री मनोज कुमार मीणा, आर०ए०एस०
राजस्व वाद संख्या : 184/2022
GCMS NO. : 2022/405

-: प्रार्थीगण :-

1. मांगीया पुत्र जयराम
2. आयचुकी पत्नी रामदान
3. ओगड़राम पुत्र रामदान
4. ढगली देवी पुत्री रामदान
5. पंचाराम पुत्र रामदान
6. बायादेवी पुत्री रामदान
7. मोतीलाल पुत्र रामदान
8. सेणकी देवी पुत्री रामदान

जातियान-बावरी, निवासीगण-चावण्डिया, तहसील जैतारण, जिला-ब्यावर राज.।

बनाम

-: अप्रार्थीगण :-

1. भूरीया पुत्र भीका जाति सीरवी निवासी चावण्डिया तहसील जैतारण जिला ब्यावर।
2. अम्बालाल पुत्र कुदनमल फौत के का.मु.
   2.1 मुकेश पुत्र अम्बालाल
   2.2 राखी पुत्री अम्बालाल
   2.3 बिदकी पत्नी अम्बालाल
3. ओमप्रकाश पुत्र केसाराम
4. केवलचंद पुत्र केसाराम
5. जिपरी पुत्री केसाराम
6. झणकारी पत्नी केसाराम
7. तेजाराम पुत्र केसाराम फौत के का.मु.
   7.1 सुरजीत पुत्र तेजाराम
   7.2 दिनेश पुत्र तेजाराम
   7.3 पिंकी पुत्री तेजाराम
8. धीरज पुत्र मनोहर
9. नरेश पुत्र मनोहर
10. पूनम पुत्री मनोहर

प्रतिवादी संख्या 08 से 10 नाबालिग जरिए माता पानी देवी

11. पानी देवी पत्नी मनोहर
12. सुशीला पुत्री केसाराम फौत के का.मु.

12.1 चेनाराम पुत्र शैतान माता सुशीला
12.2 ललिता पुत्री शैतान माता सुशीला

जातियान- भांबी, निवासीगण- चावण्डिया, तहसील- जैतारण, जिला ब्यावर राज.।

13. तहसीलदार, जैतारण तहसील जैतारण जिला ब्यावर राज0।

राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत् रास्ता कायम करवाने अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम,1955 **तारीख रजू:-20.12.2022**

उपस्थितः- 1. श्री जगदीश सोलंकी, अधिवक्ता, प्रार्थीगण।
2. श्री नितेश चौहान, श्री किशोर कुमावत, अधिवक्ता, अप्रार्थीगण।

-:: निर्णय ::- **दिनाँकः-09/12/2025**

अधिवक्ता मय प्राथीगण ने एक राजस्व प्रार्थनापत्र बाबत् अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, के तहत् इस आशय का पेश किया कि सरहद मौजा चावण्डिया पटवार हल्का चावण्डिया में प्रार्थी संख्या 01 की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि खसरा संख्या 55 रकबा 0.8498 हैक्टर किस्म

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (ब्यावर)

बारानी अव्वल की आई हुई है। प्रार्थी संख्या 02 से 08 की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि सरहद मौजा चावण्डिया में खसरा संख्या 55/2 रकबा 0.8579 हैक्टर की आई हुई है नकल जमाबंदी के साथ पेश है। प्रार्थीगण के खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि के पूर्व दिशा में अप्रार्थीगण की कृषि भूमि खसरा संख्या 60/1, 60, 58 की कृषि भूमि आई हुई है तथा अप्रार्थी संख्या 01 के खातेदारी खेत के पूर्व दिशा में चिपते ही खसरा संख्या 202 एक रास्ता/डामर सड़क जो गांव चावण्डिया से देवरिया जाता है जो प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत नक्शा ट्रेस से प्रमाणित है। प्रार्थीगण अपने खातेदारी की कृषि भूमि की खड़ाई बुवाई आदि पूर्व में बेलो से व वर्तमान में ट्रेक्टर से आम रास्ता खसरा संख्या 202 जो ग्राम चावण्डिया से देवरिया जाने के रास्ते से अप्रार्थीगण की खातेदारी खेत के उत्तरी माठ अर्थात आम रास्ते से पश्चिम की तरफ से बिना किसी रोक टोक के कदीमी के रूप से पीढियों से आते जाते है तथा इस रास्ते को प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत नजरी नक्शे में मार्क ए बी व सी डी लाल रंग से बताया है जिससे होकर अपने खेतों में आने जाने के काम में कदीमी से लेते आ रहे है प्रार्थीगण द्वारा बताये नजरी नक्शे में लाल रंग से रास्ते के अलावा अन्य कोई रास्ता प्रार्थीगण के खेतों में आने जाने का नही है प्रार्थीगण द्वारा मौके का नजरी नक्शा बनाकर प्रार्थना पत्र के साथ पेश किया जा रहा है जिसको प्रार्थना पत्र का एक आवश्यक भाग माना जावें। प्रार्थीगण के खेतों में आने जाने व बेल-छकड़ा, ट्रेक्टर, पशु, भेड़, बकरियां आदि लाने ले जाने हेतु शुरू से उक्त रास्ता चालू हालत में है जिसको प्रार्थीगण शांतिपूर्वक विधिपूर्वक तरीके से उपयोग, उपभोग करते आ रहे है एवं अप्रार्थीगण ने उक्त रास्ता में आने जाने से कभी नहीं रोका। परन्तु वर्तमान में जमीनों की कीमतें बढ़ने के कारण अप्रार्थीगण की नियत में खोट आ गई है व दिनांक 24.11.2022 को नजरी नक्शे में बताये बिन्दू ए बी से सी डी रास्तो को बंद करने की ऐलानिया धमकी दी। एवं कहा कि इस वर्ष तो खेती के लिए ट्रेक्टर, बैलगाड़ी आदि ले गये हो अब आपको किसी भी सूरत में नजरी नक्शे में बताये रास्ते से नही निकलने देंगे जिससे प्रार्थीगण को स्वयं को एवं ट्रेक्टर, बैलगाड़ी आदि लाने ले जाने में कठिनाई उत्पन्न करने पर आमादा हुए तब प्रार्थीगण ने कहा कि हक आपको उक्त रास्ते की जमीन का प्रतिकर आपको दे देंगे। रास्ता खुला रखा जावे लेकिन अप्रार्थीगण ने कोई सुनवाई नही कर रहे है। इसलिए राजस्व रेकर्ड में उक्त रास्ता तरमीम करने के लिए प्रार्थना पत्र पेश किया जा रहा है। प्रार्थीगण काश्तकार है तथा एक खातेदार को अपनी खातेदारी भूमि की खड़ाई बुवाई हेतु तथा अपने खातेदारी के खेत में आने जाने हेतु ट्रेक्टर, बैलगाड़ी आदि ले जाने व आने जाने व मवेशियों के लिए आने जाने के लिए राज्य सरकार द्वारा एक अधिसूचना जारी कर निकटतम रूट से होकर नया मार्ग जो कि 30 फीट की चौड़ाई में विस्तार कर दिये जाने बाबत् एक आदेश पारित किया है जिसके आधार पर भी प्रार्थीगण को अपनी खातेदारी की भूमि में आने जाने हेतु रास्ता उपलब्ध करवाया जाना आवश्यक है। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत नजरी नक्शे में मार्क ए बी से सी डी से दर्शित रास्ते से होकर प्रार्थीगण व उसके पहले प्रार्थीगण के पूर्वज अपने खेतों मे आने जाने के लिए काम में लेते आ रहे है मौके पर रास्ता चालू है। यदि अप्रार्थीगण लाठी व हठधर्मिता से रास्ते का बंद कर देते है तो प्रार्थीगण अपने खेत में फसल की बुवाई नही करने से आर्थिक नुकसान भी

9.12.25
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (ब्यावर)

होगा जिसकी क्षति पूर्ति किसी भी सूरत में संभव नही होगी। प्रार्थी ने अप्रार्थीगण की यह भी कहा कि इस रास्ता लेने बाबत् मुआवजा राशि भी देने को तैयार है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नजरी नक्शे अनुसार जितनी जमीन रास्ते के रूप में काम आयेगी उतनी जमीन प्रार्थीगण जमाबंदी में बतौर रास्ते के रूप में दर्ज करवाने के अधिकारी है तथा नक्शा ट्रेस में रास्ता भी तरमीम किया जावे। प्रार्थी रास्ते की भूमि बाबत् मुआवजे की राशि भी अप्रार्थीगण को अदा करने के लिए तैयार है तथा प्रार्थीगण के खेतों में आने जाने हेतु सबसे निकटतम एवं कम दूरी का रास्ता अप्रार्थीगण के खेत में से ही है जो नक्शे में लाल रंग से दर्शाया है उक्त रास्ता प्रार्थी के खेत में जाने के लिए अत्याधिक आवश्यकता है। प्रार्थी के खेत में जाने के उक्त रास्ता में अप्रार्थीगण ने बिना किसी अधिकार के केवल मात्र लाठी के बल पर बन्द कररने पर आमादा है जो विधि विरूद्ध होने से खसरा संख्या 596 में रास्ता 14 चौड़ाई में रास्ता को कायम किया जाना जरूरी है। अप्रार्थीगण को रास्ता की जमीन का प्रतिकर भी नियमानुसार अदा करने के लिए तत्पर है इसलिए अब उक्त रास्ते को अप्रार्थीगण को बंद करने का कोई अधिकार नही है। प्रार्थी ने उक्त प्रार्थना पत्र विधिक प्रावधानों के तहत पेश किया है जो अन्दर म्याद है तथा निर्धारित न्याय शुल्क पेश है जो प्रार्थना पत्र श्रीमान के श्रवणाधिकार व क्षैत्राधिकार में है। अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र व दस्तावेजात् पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शे में ग्राम चावण्डिया से देवरिया जाने वाली रोड़ खसरा संख्या 202 की पश्चिमी तरफ बताये गये 14 फुट चौड़ाई में रास्ता को प्रार्थीगण के खेत खसरा संख्या 55 में आने जाने हेतु/आवागमन के लिए रास्ता कायम करने का आदेश प्रदान करावें। अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 58, 60, 60/1 में जो रास्ता निकलता है जितनी भूमि कम की जाकर रास्ता कायम किया जावे तथा रास्ते की भूमि का मुआवजा प्रार्थी अप्रार्थीगण को अदा करने के लिए तैयार है तथा रास्ता को राजस्व रेकर्ड में तरमीम किया जाने का आदेश फरमावें।

अप्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 03 से 12/2 को न्यायालय हाजा में बार बार रूक रूककर आवाजें दिलाई गई बावजूद सम्मन सूचना के अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई। अप्रार्थीगण संख्या 01 की ओर से अधिवक्ता नितेश चौहान व अप्रार्थीगण संख्या 02/1 से 2/3 की ओर से अधिवक्ता किशोर कुमावत ने वकालतनामा पेश किया, जो शामिल मिसल किया गया। अधिवक्ता अप्रार्थीगण को जवाब पेश करने हेतु अनेकानेक अवसर देने के उपरान्त भी जवाब पेश नही करने से जवाब अवसर बंद किया गया।

तहसीलदार जैतारण को जरिये सम्मन वास्ते जबाब प्रार्थना पत्र तलब किया गय तहसीलदार जैतारण से सार्वजनिक रास्ता दिये जाने के संबंध में रिपोर्ट न्यायालय हाजा के आदेश क्रमांक/कोर्ट/2024/905 दिनांक 05.08.2024 द्वारा चाही गई थी, तहसीलदार जैतारण ने अपनी तथ्यात्मक जांच रिपोर्ट क्रमांक/भू.अ./2025/266 दिनांक 20.01.2025 मय भू अभिलेख निरीक्षक आगेवा की फर्द मौका पेश कर कथन किया कि मौके पर राजस्व रेकर्ड का अवलोकन करने पर प्रार्थीगण की अपनी आराजी/जोत खसरा संख्या 55 व 55/2 तक पहुंचने के लिए वर्तमान में कोई भी रास्ता राजस्व रेकर्ड अनुसार नही है। ऐसी स्थिति में खसरा संख्या 202 गै.मु.रास्ता तक पहुंचने के लिए बीच में अप्रार्थीगण की निजी खातेदारी

9.12.25
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (ब्यावर)

भूमि खसरा संख्या 58, 60, 60/1 आती है। प्रार्थीगण द्वारा चाहा गया रास्ता आत्यंतिक आवश्यकता का प्रतीत होता है। प्रार्थीगण द्वारा चाहा गया रास्ता निकटतम एवं न्यूनतम दूरी 301 मीटर लम्बा व 06 मीटर चौड़ा है जो खसरा संख्या 58 में से 110 मीटर लम्बा व 06 मीटर चौड़ा कुल 660 वर्गमीटर, खसरा संख्या 60 में से 123 मीटर लम्बा व 06 मीटर चौड़ा कुल 738 वर्गमीटर तथा खसरा संख्या 60/1 में से 68 मीटर लम्बा व 06 मीटर चौड़ा कुल 408 वर्गमीटर यानि कुल रकबा 1806 वर्गमीटर अर्थात 0.1806 हैक्टर होगा। प्रस्तावित रास्ता न्यूनतम व निकटतम विकल्प है। इसके अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है तथा न ही राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज है। प्रस्तावित रास्ता प्रार्थीगण की आत्यधिक आवश्यकता का है।

बहस अधिवक्ता प्रार्थीगण, अप्रार्थीगण एवं पैरोकार सरकार की प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पर सुनी गई। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मय दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन कर बहस उभयपक्षकारान् पर गौर कर मनन किया गया। प्रकरण का बिन्दुवार विवेचन एवं निर्णयन् निम्नानुसार हैः-

1. प्रार्थीगण खातेदार द्वारा प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 251क, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 प्रस्तुत कर यह निवेदन किया हैं कि सरहद मौजा चावण्डिया, पटवार हल्का चावण्डिया, भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र आगेवा तहसील जैतारण जिला पाली राजस्थान में प्रार्थीगण संख्या 01 की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 55 रकबा 0.8498 हैक्टयर किस्म बारानी अव्वल व प्रार्थीगण संख्या 02 से 08 की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि खसरा संख्या 55/2 रकबा 0.8579 हैक्टर किस्म बारानी अव्वल की आई हुई है। उपरोक्त वर्णित आराजी मे प्रार्थीगण एक मात्र खातेदार काश्तकार है तथा मौके पर प्रार्थीगण की खातेदारी अलग से तरमीम हो रखी है। प्रार्थीगण की उपरोक्त वर्णित खातेदारी भूमि मे जाने के लिये मौके पर एवं राजस्व रेकर्ड मे कोई वेकल्पिक रास्ता नही है परन्तु प्रार्थीगण के खातेदारी भूमि के पूर्व दिशा मे अप्रार्थीगण की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि – भूमि खसरा नम्बर 60/1 रकबा 0.9712 हेक्टयर किस्म बारानी अव्वल, खसरा नम्बर 60 रकबा 2.5171 हैक्टयर किस्म बारानी अव्वल तथा खसरा संख्या 58 रकबा 0.8094 हैक्टर किस्म बारानी अव्वल की भूमि आई हुई है। इस भूमि के आगे अर्थात अप्रार्थीगण की भूमि के पूर्व दिशा में चिपते ही खसरा संख्या 202 एक रास्ता/डामर सड़क जो चावण्डिया से देवरिया जाने वाला आया हुआ है अर्थात मौके पर एवं राजस्व रेकर्ड में आम सडक है। आम सडक एवं प्रार्थीगण की भूमि के बीच में अप्रार्थीगण की भूमि है जिससे होकर प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि में आने जाने के लिये उपयोग में ले रहे है परन्तु राजस्व रेकर्ड मे प्रार्थीगण की भूमि में जाने का कोई रास्ते का इन्द्राज नहीं है व न ही आस पास कोई वैकल्पिक रास्ता है। प्रार्थीगण की भूमि मे जाने के लिये मौके पर कोई वेकल्पिक रास्ता नही होने से प्रार्थीगण की भूमि मे जाने हेतू एक मात्र वैकल्पिक रास्ता जो प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत नजरी नक्शे मे खसरा नम्बर 60/1, 60 व 58 अप्रार्थीगण की भूमि के भू भाग मे लाल स्याही से मार्क ए बी से सी डी दर्शाया गया सबसे निकटतम् रास्ता है और प्रार्थीगण उक्त नजरी नक्शे में वर्णित रास्ते को अपनी भूमि में आने जाने हेतू सावर्जनिक रास्ता घोषित करवाने के लिये यह

9.12.25
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (ब्यावर)

प्रार्थनापत्र पेश है। अतः प्रार्थीगण ने अपनी आराजी तक पहुंच के लिए नियमानुसार रास्ता प्रदान कर उसकी तरमीम करवाए जाने की इस्तदुआ की है।

2.अप्रार्थी तहसीलदार जैतारण ने जवाब प्रार्थना मय जाँच व फर्द मौका रिपोर्ट प्रस्तुत कर कथन किया है मौके पर राजस्व रेकर्ड का अवलोकन करने पर प्रार्थीगण की अपनी आराजी/जोत खसरा संख्या 55 व 55/2 तक पहुंचने के लिए वर्तमान में कोई भी रास्ता राजस्व रेकर्ड अनुसार नही है। ऐसी स्थिति में खसरा संख्या 202 गै.मु.रास्ता तक पहुंचने के लिए बीच में अप्रार्थीगण की निजी खातेदारी भूमि खसरा संख्या 58, 60, 60/1 आती है। प्रार्थीगण द्वारा चाहा गया रास्ता आत्यंतिक आवश्यकता का प्रतीत होता है। प्रार्थीगण द्वारा चाहा गया रास्ता निकटतम एवं न्यूनतम दूरी 301 मीटर लम्बा व 06 मीटर चौड़ा है जो खसरा संख्या 58 में से 110 मीटर लम्बा व 06 मीटर चौड़ा कुल 660 वर्गमीटर, खसरा संख्या 60 में से 123 मीटर लम्बा व 06 मीटर चौड़ा कुल 738 वर्गमीटर तथा खसरा संख्या 60/1 में से 68 मीटर लम्बा व 06 मीटर चौड़ा कुल 408 वर्गमीटर यानि कुल रकबा 1806 वर्गमीटर अर्थात 0.1806 हैक्टर होगा। प्रस्तावित रास्ता न्यूनतम व निकटतम विकल्प है। इसके अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है तथा न ही राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज है। प्रस्तावित रास्ता प्रार्थीगण की आत्यधिक आवश्यकता का है।

3.रास्ते के संबंध में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1956 की धारा 251 (क) में कानूनी प्रावधान निम्नानुसार हैः-

251- क "अन्य खातेदार की जोत में से होकर भूमिगत पाइपलाइन बिछाना या नया मार्ग खोलना सा विद्यमान मार्ग का विस्तार करना-(1) जहां

(क)- कोई अभिधारी, अपनी जोत की सिंचाई के प्रयोजन के लिए किसी अन्य खातेदार की जोत में से होकर भूमिगत पाइपलाइन बिछाना चाहता है, या

(ख)- कोई अभिधारी या अभिधारियों का कोई समूह अपनी जोत या, यथास्थिति, उनकी जोतों तक पहुंचने के लिए अन्य खातेदार की जोत में से होकर एक नया मार्ग बनाना चाहता है या किसी विद्यमान मार्ग को विस्तारित या चौड़ा करना चाहता है-

और मामला पारस्परिक सहमति से तय नहीं होता है तो ऐसा अभिधारी या, यथास्थिति, ऐसे अभिधारी ऐसी सुविधा के लिए सम्बन्धित उपखण्ड अधिकारी को आवेदन कर सकेंगे और उपखण्ड अधिकारी, यदि संक्षिप्त जांच के पश्चात् उसका समाधान हो जाता है कि-

(A)- यह आवश्यकता आत्यंतिक आवश्यकता है और यह जोत के केवल सुविधाजनक उपभोग के लिए नहीं है, और

(B)- अन्य खातेदार की जोत में से होकर, विशिष्ट रूप से नये मार्ग के मामले में, पहुंचने के वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्ध किया गया है-

तो आदेश द्वारा, आवेदक को, अभिधारी, जो उस भूमि को धारित करता है, द्वारा सीमांकित या दर्शित लाईन के साथ-साथ भूमि की सतह से कम से कम तीन फुट नीचे पाइपलाइन बिछाने या ऐसे ट्रेक पर, जो उस अभिधारी द्वारा जो उस भूमि को धारित करता है, दर्शाया जावे, भूमि में से होकर, और यदि ऐसा ट्रेक दर्शित नहीं किया जाये तो लघुतम या निकटतम रूट से होकर एक नया मार्ग जो तीस फुट से अनधिक तक विस्तारित या चौड़ा करने के लिए, उस अभिधारी को, जो उस भूमि को धारित करता है, जिसमें से होकर पाइपलाइन बिछाने या एक नया मार्ग

9.12.25
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (ब्यावर)

बनाने या विद्यमान मार्ग को चौड़ा करने का अधिकार मंजूर किया जावे, ऐसे प्रतिकर के संदाय पर जो विहित रीति से उपखण्ड अधिकारी द्वारा अवधारित किया जाये, अनुज्ञात कर सकेगा।

(2)– जहां–उपधारा (1) के अधीन नया मार्ग बनाने या किसी विद्यमान मार्ग को विस्तारित करने या चौड़ा करने का अधिकार मंजूर किया जाये वहां ऐसे मार्ग को समाविष्ट करने वाली उस भूमि के सम्बन्ध में अभिधृति निर्वापित की हुई समझी जायेगी और वह भूमि राजस्व अभिलेखों में ''रास्ता'' के रूप में अभिलिखित की जायेगी।

(3)– वे व्यक्ति, जिनको उपधारा(1) में निर्दिष्ट सुविधाओं में से किसी भी सुविधा के उपभोग के लिए अनुज्ञात किया गया है, उक्त सुविधा के आधार पर उस जोत में, जिसमें से होकर ऐसी सुविधा मंजूर की जाये, कोई भी अन्य अधिकार अर्जित नहीं करेंगे।

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि धारा 251ए में यह आज्ञापक विधिक प्रावधान है कि रास्ता ऐसी दशा में स्वीकृत किया जा सकता है, जबकि उसकी आत्यंतिक आवश्यकता हो तथा अन्य कोई भी वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं हो।

4.हस्तगत प्रकरण में भू अभिलेख निरीक्षक आगेवा से फर्द मौका एवं तथ्यात्मक जांच प्रतिवेदन प्राप्त किया गया। भू–अभिलेख निरीक्षक आगेवा द्वारा प्रेषित मौका एवं तथ्यात्मक जांच प्रतिवेदन दिनांक 08.01.2025 के अनुसार प्रार्थीगण की खातेदारी आराजी खसरा नम्बर 55 रकबा 0.8498 हैक्टयर किस्म बारानी अव्वल व खसरा संख्या 55/2 रकबा 0.8579 हैक्टर किस्म बारानी अव्वल तक पहुंच के लिये कोई अभिलिखित रास्ता उपलब्ध नहीं है तथा प्रार्थीगण द्वारा चाहा गया रास्ता आत्यांतिक आवश्यकता का है। प्रार्थीगण की उक्त आराजी तक पहुंच के तहसीलदार जैतारण द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट में एकमात्र वैकल्पिक रास्ता प्रस्तावित किया गया है– **विकल्प – ''खसरा नंबर 60/1, 60 व 58 में से होकर जिसका कुल क्षेत्रफल 1806 वर्गमीटर है।''**

उपर्युक्त प्रस्तावित विकल्प न्यूनतम व निकटतम है। अतः उक्त विकल्प को स्वीकार करते हुए सार्वजनिक रास्ता घोषित करना विधिसंगत एवं उचित होगा।

5.तहसील राजस्व लेखाकार, तहसील कार्यालय जैतारण की रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थीगण को दिये जाने वाले रास्ते की प्रभावित भूमि ग्राम चावण्डिया की प्रचलित डी0एल0सी0 दर 36.80 रूपये प्रति वर्गमीटर है। राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम 1955 के नियम 70(1)(II)(क) के अनुसार प्रभावित खसरान् की वर्तमान प्रचलित डी0एल0सी0 दर अर्थात् प्रचलित डी.एल.सी. दर की दो गुणा (2.0) डीएलसी रेट 73.60 रूप्ये मानते हुए कुल मुआवजा राशि 1806 वर्गमीटर × 73.60 रूपये = 132922 रूपये राउण्ड ऑफ 133000/– अक्षरे एक लाख तैंतीस हजार रूपये दिया जाना अपेक्षित है।

उपर्युक्त बिन्दूवार विवेचन के आलोक में हमारा यह विनम्र अभिमत है कि प्रार्थीगण द्वारा अपनी खातेदारी आराजी खसरा नम्बर 55 व 55/2 तक पहुंच के लिये वांछित रास्ते की आवश्यकता आत्यंतिक प्रकृति की है तथा वर्तमान में प्रार्थीगण की आराजी तक पहुंच के लिए भू–अभिलेख में कोई अभिलिखित पहुंच मार्ग नहीं है। इसलिए कानूनन प्रार्थीगण खातेदार की मांग पर न्यूनतम एवं निकटतम अभिलिखित अभिलिखित रास्ता खसरा नंबर 60/1, 60 एवं 58 में से,

9.12.25
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (ब्यावर)

जो भू अभिलेख निरीक्षक, आगेवा की नजरी नक्शा मौका रिर्पोट में विकल्प के रूप में लाल स्यायी से दर्शाया गया है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र स्वीकार करते हुये खसरा नंबर 60/1, 60 एवं 58 में से प्रस्तुत नजरी नक्शे में दर्शाये प्रस्तावित रास्ता कुल क्षेत्रफल 1806 वर्गमीटर को गैर मुमकिन सार्वजनिक रास्ता घोषित किया जाना एवं जिसके प्रतिकर राशि स्वरूप राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम 1955 के नियम 70(1)(II)(क) के प्रावधान अनुसार प्रचलित डी.एल.सी. दर की दुगुनी राशि अर्थात बाजार मूल्य के मद्देनजर ग्राम चावण्डिया की उक्त सरकारी भूमि की अधिकतम डीएलसी रेट वर्तमान डी.एल.सी. दर की दो गुणा (2.0) मानते हुए कुल मुआवजा राशि 1806 वर्गमीटर × 73.60 रूपये = 1,32,922 रूपये राउण्ड ऑफ 1,33,000/- अक्षरे एक लाख तैंतीस हजार रूपये निर्धारित की जाकर उक्त राशि प्रार्थीगण से प्राप्त कर प्रभावित खातेदारान् को प्रभावित रकबा एवं हिस्सा अनुसार भुगतान किया जाना एवं रास्ता कायम कर मौके एवं राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद कर पत्थरगढ़ी/नेखमबन्दी करवाया जाना उचित समझते हैं।

-:: आदेश ::-

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः प्रार्थना-पत्र प्रार्थीगण अंतर्गत धारा 251ए, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बखूबी साबित होने तथा सारवान होने से स्वीकार किया जाता है। **प्रार्थीगण की खातेदारी आराजी ग्राम चावण्डिया, पटवार हल्का चावण्डिया, भू अभिलेख निरीक्षक आगेवा, तहसील जैतारण जिला ब्यावर के खसरा नम्बर 55 रकबा 0.8498 हैक्टयर किस्म बारानी अव्वल व खसरा संख्या 55/2 रकबा 0.8579 हैक्टर किस्म बारानी अव्वल तक पहुँच मार्ग के लिये न्यूनतम एवं निकटतम अभिलिखित रास्ता खसरा संख्या 58 रकबा 0.8094 हैक्टर किस्म बारानी अव्वल में से 110 मीटर लम्बा व 06 मीटर चौड़ा कुल 660 वर्गमीटर, खसरा संख्या 60 रकबा 2.5171 हैक्टर किस्म बारानी अव्वल में से 123 मीटर लम्बा व 06 मीटर चौड़ा कुल 738 वर्गमीटर तथा खसरा संख्या 60/1 रकबा 0.9712 हैक्टर किस्म बारानी अव्वल में से 68 मीटर लम्बा व 06 मीटर चौड़ा कुल 408 वर्गमीटर यानि कुल रकबा 1806 वर्गमीटर अर्थात 0.1806 हैक्टर का रास्ता व भू अभिलेख निरीक्षक आगेवा के द्वारा प्रस्तावित नजरी नक्शे के अनुरूप भूमि कम करते हुए इसे सार्वजनिक रास्ता सिवाय चक स्वीकृत किया जाता है।** उक्त रास्ता भूमि की प्रतिकर राशि राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम 1955 के नियम 70(1)(II)(क) के अनुसार प्रभावित खसरान् की वर्तमान प्रचलित डी0एल0सी0 दर अर्थात् 36.80/- रूपये प्रति वर्गमीटर की दुगुनी 73.60/- रूपये प्रति वर्गमीटर मानते हुये रास्ते हेतु प्रयुक्त एवं प्रभावित आराजी में से कम किया गया कुल रकबा 1806 वर्गमीटर के लिये कुल प्रतिकर राशि 1,33,000/- रूपये (अक्षरे एक लाख तैंतीस हजार रूपये मात्र) निर्धारित करते हुए तहसीलदार जैतारण को निर्देशित किया जाता है कि वह निर्धारित प्रतिकर राशि प्रार्थीगण से प्राप्त कर खसरा संख्या 60/1, 60 एवं 58 के खातेदारान् को रास्ता प्रयोजनार्थ खातेदारी से कम की गई भूमि के अनुपात में भुगतान करनें का निर्देश दिया जाता है। खातेदारान द्वारा राशि प्राप्त नहीं करनें पर

9.12.25
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (ब्यावर)

उसे तब तक जमा रखें जब तक ऐसे खातेदार/वारिसान ऐसी राशि प्राप्त नहीं कर लें। ऐसी राशि पर कोई ब्याज या अन्य भुगतान देय नहीं होगा। तहसीलदार, जैतारण भू-अभिलेख में अमल-दरामद कर मौके पर सीमाँकन कर स्वीकृत रास्ता चालू करावें। भु अभिलेख निरीक्षक- आगेवा द्वारा तैयार फर्द मौका रिपोर्ट दिनांक 08.01.2025 इस आदेश का भाग होगी। तहसीलदार जैतारण को तहरीर जारी हों। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित होकर संख्या से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (जिला-ब्यावर)
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (ब्यावर)

निर्णय आज दिनाँक 09/12/2025 को सर-ए-इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (जिला-ब्यावर)
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (ब्यावर)